तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/3/16	पत्रावली आज सोक अदालत में पेश होने पर प्रकरण को दोनों पक्ष से रफा दफा प्रतिवादीगण को सुनाया। प्रतिवादीगण का कथन है कि विवादित आराजी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, विवादित आराजीयात वादीगणों को बेच दी है, इसलिए दावा वादीगण डिक्री कर दिया जाने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को अग्रिम स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ग्राम कूकना तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं. 142, 150, 455/1, 455/3, 456, 702, 706, 720, 738, 1068, 1069 कुल किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा के कब्जे करने में व उपभोग उपयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। बाकी किसी दीगर सेवा दावा इसी आदुलमद डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर ले पर हो।	

मस्ती

हरीमन

प्रतिवादी

डिक्रीदार